सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 60/2018

1 जुगल कंवर पुत्री बोदूसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामलाल पुत्र गुमानाराम।
2 हरलाल पुत्र गुमानाराम।
3 रामेश्वर पुत्र गुमानाराम।
4 दानाराम पुत्र गुमानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण पिपराली तहसील व जिला सीकर।
5 मोहनी पुत्री गुमानाराम।
6 बरजी देवी पुत्री गुमानाराम पत्नी जवाहर सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 रामकोरी पुत्री गुमानाराम पत्नी पोखर जाति जाट निवासी निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
8 छोटी देवी पुत्री गुमानाराम पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी गोठड़ा भूखरान तहसील व जिला सीकर।
9 तहसीलदार तहसील सीकर जिला सीकर।
9/1 भंवरसिंह पुत्र बादूसिंह जाति राजपुत निवासी सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 05.06.18 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट गुंगारा प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जूही भार्गव दावा संख्या 51/2016 उनवानी रामलाल आदि बनाम रामेश्वर आदि

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 23.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 51/2016 में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में दावा उदघोषणा, खातेदारी अधिकार एवं दुरूस्ती इन्द्राजात अन्तर्गत धारा 88,136 प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 945/1 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम गुंगारा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है, जिसमें से एक बीघा 16 बिस्वा वादीगण के पिता गुमानाराम पुत्र जोधाराम जाट निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर ने खातेदारी/विक्रेता श्री बोदुसिंह पुत्र खांगसिंह राजपूत निवासी ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर से दिनांक 28.07.1980 को जरिये विक्रय पत्र क्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित अपने हक में करवाया। इस क्रयशुद्वा कृषि भूमि के नवीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खसरा नम्बर 2150 रकबा 0.42 हैक्टेयर है। वादीगण को उक्त कृषि भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में बोदूसिंह पुत्र खांगसिंह जाति राजपूत निवासी सिंहासन का नाम हजफ किया जाकर वादीगण का नाम अंकित किया जावे। वादीगण की कब्जे काश्त की भूमि जिसके नवीन खसरा नम्बर 2150 रकबा 0.42 हैक्टेयर है यह भूमि दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। यह स्थिति रिकार्ड जमाबंदी व राजस्व नक्शे में दर्ज की जाकर वांछित संशोधन राजस्व रिकार्ड में फरमाया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट की और से यह अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विचाराधीन आदेश लोक अदालत में पारित किया है। विचारण न्यायालय ने बोदुसिंह की फौतगी पर उनके विधिक वारिसान को आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत रिकार्ड पर लिये बिना केवल एक पुत्र भंवर सिंह को वारिस बताकर सहमती बताते हुये विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार भंवरसिंह को भी पक्षकार नही बनाया है। विचारण न्यायालय में पत्रावली आदेशिका के अनुसार दिनांक 20.07.2017 को तामील में चल रही है। विचारण न्यायालय ने निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखने बाबत एवं लोक अदालत बाबत पक्षकारों को न तो नोटिस दिया गया है न ही आदेशिका पर सुचित होने के हस्ताक्षर है। अपीलांट बोदुसिंह की पुत्री है। आवश्यक पक्षकार है अत अपीलांट का धारा 96 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावें। अपील स्वीकार कर रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रकरण में विवादित भूमि का पुराना खसरा नम्बर 945/1 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा था इसमें से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक 28.07.1980 को एक बीघा 16 बिस्वा भूमि गुमानाराम ने क्रय की फ्रेगमेंट होने से नामान्तकरण नही हो सका। दावा किया जो डिक्री हुआ उसकी अपील में प्रकरण रिमाण्ड हुआ पुन यह डिक्री पारित की गई है। नया खसरा नम्बर एक बीघा 16 बिस्वा का 2150 रकबा 0.42 हैक्टेयर है। भूमि क्रय करने के उपरान्त से ही निरन्तर काबिज काश्त है। बोदुसिंह का पुत्र भंवर सिंह स्वंय न्यायालय में उपस्थित आया है। उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विक्रित भूमि गुमानाराम वगैरह की ही है, उनका कोई हक हिस्सा नही है। अपीलांट बोदुसिंह की पुत्री है, सन 2005 के बाद पुत्रियों को हक अधिकार मिले है। 1980 में हमने क्रय की अत पुत्रियों का हिस्सा नही बनता है। आदेशिका में सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होना आवश्यक नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. (5) 1998 पेज 272 एवं आर.आर.डी. 1979 पेज 01 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में दिनांक 20.07.2017 को पत्रावली तलबी हेतु 09.08.2017 को नियत की गई। इसके उपरान्त दिनांक 09.08.2017, 21.08.2017, 09.10.2017, 16.11.2017, 22.12.2017, 16.01.2018, 12.02.2018, 12.03.2018, 13.04.2018, 03.05.2018, 23.05.2018 की नियत तारिख पेशीयों पर स्टाम्प लगा है। तलबी होने या ना होने एवं एक पक्षीय कार्यवाही करने, मृतक बोदुसिंह के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने अथवा बोदुसिंह का नाम हजफ करने सम्बधित कोई कार्यवाही विचारण न्यायालय द्वारा नही की गई है। सीधे ही विचाराधीन आदेश पारित किया गया। राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद निस्तारण की विधिक प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि बोदुसिंह के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर प्रकरण में पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर